"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अगस्त 2010—श्रावण 11, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त, 2010 (श्रावण 11, 1932)

क्रमांक-8693/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21 सन् 2010), जो दिनांक 2 अगस्त, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 21 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 की उप-धारा (1) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उपकर-अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उप-धारा (1) में, शब्द "पांच पैसा" के स्थान पर, शब्द "दस पैसे" प्रतिस्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 28 सन् 2004) के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 सितम्बर, 2004 से 5 (पांच) पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास कर अधिरोपित है. ऊर्जा विकास उपकर के एवज में संग्रहित राजस्व का उपयोग मुख्यतः ऊर्जा के विकास एवं ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से उन्नत तकनीकी के विकास, ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, उपलब्ध नैसर्गिक एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के समन्वयित विकास, ऊर्जा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण, राज्य में अपहुंच वाले वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत आधारित स्रोतों से बिजली की व्यवस्था, राज्य में विद्युत वितरण प्रणाली के उन्नयन, राज्य में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं जैसा कि आवश्यक हो उपलब्ध कराने एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना जिसमें विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न निर्माण यंत्रों उपस्करों, आदि के अभिकल्पन तथा दक्षता/सुरक्षा सहित उपयोग आदि के संबंध में अनुसंधान एवं परीक्षण किया जा सके, के लिये किया जाना है.

उपरोक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि वर्तमान में प्रभावशील ऊर्जा विकास उपकर की दर को 5 (पांच) पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 10 पैसे प्रति यूनिट किया जाए. लगभग 10 वर्षों के पश्चात् केवल 5 पैसे प्रति यूनिट की यह वृद्धि इस मद में प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत आधारित बिजली के आधारभूत संरचनाओं के विकास, विद्युत कंपनियों के द्वारा राज्य के विद्युत प्रणाली के उन्नयन तथा बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के विकास में किया जायेगा.

रायपुर

दिनांक 26 जुलाई, 2010

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उपधारा (1) का सुसंगत उद्धरण :—

* * * * * * * * * * * * * *

3 (1) **ऊर्जा विकास उपकर को अधिरोपित करना**— धारा 4 में विशिष्टीकृत अपवादों के अध्यधीन रहते हुए विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक विहित समय पर और विहित तरीके से कुल विद्युत ऊर्जा, जो किसी उपभोक्ता को बेची गई हो अथवा उसके द्वारा स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, पर प्रतिमाह, पांच पैसा प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान करेगा.

परन्तु ऐसी किसी विद्युत ऊर्जा पर कोई उपकर भुगतान देय न होगा, जो—

(i) (क) भारत सरकार को उपभुक्त की जाने हेतु प्रदाय की गई हो या बेची गई हो.

अथवा

(ख) किसी रेल कंपनी के, जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हो, सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपभुक्त की जाने हेतु भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा;

(ii) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (सन् 1961 का क्रमांक 17) के अधीन पंजीकृत किसी ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी सोसाइटी को थोक में बेची या प्रदाय की गई हो.

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के निमित्त "माह" से अभिप्रेत है ऐसी अवधि, जो विहित की जाए.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.